राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 30.10.2014

जिला कलेक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः– भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन बाबत।

महोदय,

यद्यपि भामाशाह नामांकन शिविरों की संख्या एवं अवधि के क्रम में श्रीमान मुख्य सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस व परिपत्र 3 एवं 4 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है फिर भी कपितय स्थानों पर शिविर समाप्ति उपरान्त नामांकन से शेष रहे नागरिकों को भामाशाह नामांकन सुविधा की सतत् उपलब्धता की जानकारी नहीं होने के कारण, कतिपय स्थानों पर संबंधित क्षेत्र के नागरिकों में आशंका/ असंतोष की सूचना प्राप्त हुई है। अतः नामांकन शिविरों की समाप्ति के समय स्थानीय नागरिकों/ जनप्रतिनिधियों को निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए :–

1. क्षेत्र की जनसंख्या के भामाशाह नामांकन प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए फॉलोअप कैम्प आवश्यक हो तो उसकी संभावित तिथि/अवधि से अवगत करवाया जावे।
2. नामांकन से शेष रहे नागरिकों के भामाशाह नामांकन/सूचनाओं के अद्यतन हेतु स्थानीय ई–मित्र केन्द्रों पर स्थायी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः उक्तानुसार शिविरों की समाप्ति के समय स्थानीय नागरिकों/जनप्रतिनिधियों को स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

Arora

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव